



प्रेस नोट



जनपद रामपुर

दिनांक 25.11.2023

थाना टाण्डा पुलिस एवं एसओजी टीम की गोवध पशु तस्करों से मुठभेड़ में 03 गोवध तस्कर के गोली लगी तथा तीनों गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, रामपुर के आदेश से अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद रामपुर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी टाण्डा के मार्गदर्शन के अन्तर्गत दिनांक 24/25.11.23 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक टाण्डा मय पुलिस फोर्स के द्वारा संदिग्ध वाहनो की चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान एसओजी प्रभारी मय हमराहीयान के चैकिंग स्थल पर मय मुखबिर के उपस्थित आये और सूचना दी कि कस्बा टाण्डा में स्थित ईद की बगिया में गोवध तस्करों ने प्रतिबन्धित पशु को क्रूरतापूर्वक बाँध कर डाल रखा है जिसे अपने वाहन में भरकर वध करने के लिये कहीं ले जाने की फिराक में है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना टाण्डा मय हमराही पुलिसबल व एसओजी टीम के साथ छिपते छिपाते पुलिस प्रशिक्षण सिखलाई का इस्तेमाल करते हुये घटनास्थल पर पहुँचे तो घटनास्थल पर गोवध पशु तस्कर एक बछड़े को क्रूरतापूर्वक बाँधकर बगिया में डाले हुये थे जिसे अपनी XUV 500 कूट रचित रजि0 नं0 UP 16AL 0505 वाहन में भरकर वध करने हेतु ले जाने की फिराक में थे। पुलिस टीम द्वारा इन्हें चेतवानी देते आत्मसमर्पण करने के लिये कहा गया तो गोवध तस्करो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत अन्धा-धुन्ध फायरिंग करने पर पुलिस टीम द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा/ आत्मरक्षार्थ जबाबी संतुलित फायरिंग की गई उक्त फायरिंग में गोवध तस्करो के पैरो में गोली लगी तथा पुलिस टीम के उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार भी घायल हुये। पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुये गोवध तस्करो गिरफ्तार किया गया। गोतस्कर व उपनिरीक्षक घायल अवस्था होने के कारण उन्हें पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से ही तत्काल उपचार हेतु सामुदायित स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डा में भर्ती कराया गया। जो उपचाराधीन है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

प्रथम टीम:- 1.सुरेन्द्र सिंह पचौरी प्र0नि0 थाना टाण्डा 2.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार 3. हे0का0 325 योगेन्द्रपाल सिंह 4. हे0का0 216 राजेन्द्र सिंह 5. का0 200 सोहित

द्वितीय टीम:- 1. उ०नि० श्री राकेश कुमार 2. उ०नि० श्री शैलेन्द्रप्रताप सिंह 3. हे०का० 319 मनवीर सिंह 4. का० 200 सोहित कुमार

तृतीय टीम:- 1. उ०नि० श्री अजयपाल सिंह (प्रभारी एसओजी टीम) 2. हे०का० 505 सरफराज 3. हे०का० 513 दीपक

गिरफ्तार का अभियुक्तों का विवरण व अपराधिक इतिहास:-

1-अलीम कुरैशी पुत्र अमीन कुरैशी नि० ग्राम अलीनगर जागीर थाना स्वार जनपद रामपुर (गिरफ्तार) – दाहिने पैर में गोली लगी है।

1.मु०अ०सं०-131/13 धारा 379/411 भादवि थाना अजीमनगर जनपद रामपुर

2.मु०अ०सं०-132/13 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना अजीमनगर जनपद रामपुर

3. मु०अ०सं०-133/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना अजीमनगर जनपद रामपुर

4. मु०अ०सं०-235/23 धारा 379/411 भादवि थाना टाण्डा जनपद रामपुर

5. मु०अ०सं०-541/2023 धारा 307,420,468,471 भा०द०वि० (पु०मु०) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना टाण्डा रामपुर

2- अजीम कुरैशी पुत्र अमीन कुरैशी नि० ग्राम अलीनगर जागीर थाना स्वार जनपद रामपुर (गिरफ्तार) – दाहिने पैर में गोली लगी है।

1. मु०अ०सं० 592/2009 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 482 भादवि थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली

2. मु०अ०सं० 600/2009 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली

3. मु०अ०सं० 601/2009 धारा 4/25 थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली

4. मु०अ०सं० 541/2023 धारा 307,420,468,471 भा०द०वि० (पु०मु०) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि०

3- फईम पुत्र अमीन कुरैशी नि० ग्राम अलीनगर जागीर थाना स्वार जनपद रामपुर (गिरफ्तार) - बायें पैर में गोली लगी है।

1. मु०अ०सं० 524/13 धारा 60 आबकारी अधि० थाना स्वार जनपद रामपुर

2. मु०अ०सं० 541/2023 धारा 307,420,468,471 भा०द०वि० (पु०मु०) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि०

नोट:- अभियुक्तगण शातिर किस्म के गोकश अपराधी हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जनपदों से भी जानकारी की जा रही है।

□अभियुक्त गणों के कब्जे से बरामदगी का विवरण:-

1-03 अदद तमंचा 315 बोर जिनकी नाल में हाल के चले हुऐ फंसे हुऐ खोका कारतूस 3 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना स्थल से बदमाशों द्वारा चलाये गये 05 खोखा कारतूस 315 बोर

2-एक गाड़ी महिन्द्रा XUV 500 ग्रे रंग रजि० नं० UP 16AL 0505(फर्जी नम्बर प्लेट लगी) जिसके अन्दर से पशु वध करने के उपकरण भी बरामद ।

3-घटनास्थल से एक अदद बछड़ा क्रूरतापूर्वक बंधा हुआ बरामद हुआ ।

□गिरफ्तारी का दिनांक:- दिनांक 25.11.2023 समय करीब 05.30 बजे सुबह
घटनास्थल:-कस्बा टाण्डा ईद की बगिया

□अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही:- गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना टाण्डा पर मु०अ०सं० 541/2023 धारा 307,420,468,471 भा०द०वि० (पु०मु०) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि० पंजीकृत हुआ है । विवेचनात्मक कार्यवाही अभियुक्तगण को उपचार कराकर नियमानुसार मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

मीडिया सेल रामपुर ।







